

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- अशयकेंसशय वि0ख0- अशोत्नी जनपद- अशोती

ग्राम पंचायत में दिनोंक... 16/12/23 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ गरीबी रेखा के नीचे/भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष/ सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	रेखा देवी नन्दकाल मिश्र	ब्राह्मण 45	अध्यक्ष	8369 635203
2	रमेश सिंह	राजपूत 26	सचिव	9616 799356
3	मन्दीरा लाल शर्मा	ब्राह्मण 52	कोषाध्यक्ष	8268543890
4	पुष्पक देवी	" 61	सामान्य सदस्य	90510 83082
5	विनोद सुंदर	" 35	सामान्य सदस्य	9717 879182
6	मुनिषा विजय	" 30	सामान्य सदस्य	95960 28911
7	रविशंकर देवी	जौतम 48	सामान्य सदस्य	9118517716
8	विशाल राज कुमार	यादव 30	सामान्य सदस्य	9219301923
9	शिव प्रसाद	" 50	सामान्य सदस्य	9930810572
10	राजेश कुमार	जौतम 52	सामान्य सदस्य	87076 29321
11	अशोक कुमार	यादव 39	सामान्य सदस्य	9580648844
12	सुनील कुमार	जौतम 24	सामान्य सदस्य	7307261007
13	मन्दीरा लाल शर्मा	ब्राह्मण 66	सामान्य सदस्य	7408067172
14	रामसेवक देवी	" 65	सामान्य सदस्य	8756604094
15	रामशिव देवी	यादव 60	सामान्य सदस्य	7388625220

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं/ सेवाओं हेतु रख-रखाव/ उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



कार्यक्रम को प्रारंभिक रूप से प्रारंभित हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन को अनुमति प्रदान की गई।

७- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर विभागानुसार एवं आवश्यकतानुसार सुझाव देने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

८- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबंध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।

९- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का संचालन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

१०- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

११- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निष्पक्ष से सहयोग प्रदान करें।

१२- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अतिक्रमण जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अमूर्त
1	रश्मि देवी	अध्यक्ष	रश्मि देवी
2	पिशा सिंह	सचिव	
3	मन-द लाल शर्मा	कोषाध्यक्ष	मन-द लाल शर्मा
4	प्रेम चन्द	सामान्य सदस्य	प्रेम चन्द
5	मिनी देव कुमार	सामान्य सदस्य	मिनी देव
6	सुनील कुमार	सामान्य सदस्य	सुनील
7	राजपाल गौतम	सामान्य सदस्य	राजपाल गौतम
8	विशाल शर्मा	सामान्य सदस्य	विशाल
9	शिव प्रसाद शर्मा	सामान्य सदस्य	शिव प्रसाद
10	राजेंद्र प्रसाद गौतम	सामान्य सदस्य	राजेंद्र प्रसाद
11	अरुण लाल शर्मा	सामान्य सदस्य	अरुण लाल
12	गीतम गौतम	सामान्य सदस्य	अरुण लाल शर्मा
13	गणेश प्रसाद	सामान्य सदस्य	गणेश
14	राम लाल	सामान्य सदस्य	राम लाल
15	राम शिरोमणि	सामान्य सदस्य	राम शिरोमणि

